न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर. ए. एस.)

अनुवान :- निहालसिंह आदि वनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या :- 210 / 2024

निर्णय दिनांक :- 20.06.2024

1. निहालसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. प्रेम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. मोतीराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. रामपाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. रोहिताष पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू
6. लिछमणसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू
7. रामीदेवी पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहव तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा.111,128,129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री पवन कुमार योगी अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी

-: निर्णय:-

प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128 129 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषिभूमि खाता सं. 178 के खसरा नं. 1030 तादादी 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नं. 1569/1327 तादादी 8.4216 हैक्टेयर कुल तादादी 8.6239 वाके रोही मौजा धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू की भूमि के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। कृषिभूमि के पड़ौसियान हमेशा सींव बाबत प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थीगण अपने खेत के चारो तरफ बाड बगैरह सही ढंग से नहीं कर सकती ना ही अपने खेत को सुधार सकती है। व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है । प्रार्थीगण की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू

अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढी करवाना चाहती है। आदि-आदि।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषिभूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित । राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ ।

बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया । वकील प्रार्थीगण की वहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण कृषिभूमि खाता सं. 178 के खसरा नं. 1030 तादादी 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नं. 1569/1327 तादादी 8.4216 हैक्टेयर कुल तादादी 8.6239 वाके रोही मौजा धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू भूमि की रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थीगण की एकल खातेदारी में है। प्रार्थीगण अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता । प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं ।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा नं. 1030 तादादी 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नं. 1569/1327 तादादी 8.4216 हैक्टेयर कुल तादादी 8.6239 हैक्टेयर भूमि रोही धीरवास छोटा तहसील तारानगर की राजस्व नक्शा के मुताबिक पैमाईश कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करावें। सीमा चिन्हन का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करेगें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें ।

सुर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सुर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)